शासकीय नवीन महाविद्यालय मैनपुर, जिला - गरियाबंद (छ.ग.)

आवश्यक सूचना

कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु महाविद्यालयीन कर्मचारी एवं परिक्षार्थी निम्नलिखित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें।

01. महाविद्यालय प्रवेश द्वार में मास्क/रूमाल/कपड़ा बांध कर ही प्रवेश करें।
02. महाविद्यालयीन कर्मचारी एवं परिक्षार्थी नियमत: एक मीटर की दूरी बनाये रखें।
03. परिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने एवं जमा करने के समय हमेशा मॉस्क, रूमाल या कपड़ा से नाक एवं मुंह ढक कर कार्य सम्पादित करें।
04. महाविद्यालय में रखें हुए या अपने पास उपलब्ध सैनेटाईजर से अपने हाथों को सैनेटाईज करके ही अन्य कार्य सम्पादित करें।
05. महाविद्यालय परिसर में परिक्षार्थियों को अनावश्यक रूप से घूमना-फिरना सख्त मना है एवं समूह में रहना भी प्रतिबंधित है। सोशल डिस्टेसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें।

नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001
(क्रमांक 27 सन 2001)

राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और अनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम :-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख में प्रवेश होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं :-

(क) रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य किसी प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना अपराधिक दोषपूर्ण अवरोध,दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुंचना या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग द्वारा किसी ऐसी अपराधिक धमकी,दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध,क्षति या अपराधिक बल प्रयोग करना।

(ख) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है राज्य की किस कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था

(1) रैगिंग का प्रतिषेध–
किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षत: या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

(2) दण्ड–
यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधो का उल्लंघन करता है या उलंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5000 से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

(3) अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशनीय होना–इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशनीय होगा

(01) अपराधों का विचारण –

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ख) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन 1974 के उपबंध लागू होंगे।

(02) छात्र के निष्कासन के लिए निर्योग्यता –

(क) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

(ख) किसी शैक्षणिक संस्था याद कोई छात्र जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो उसे शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

(ग) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य किसी कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर 3 वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

आचरण संहिता-सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

01. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा, किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
02. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
04. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार रखेगा।
05. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निव्यंसत और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
06. महाविद्यालय तथा छात्रवास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
07. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है, विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
08. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
09. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है, कोई भी छात्र या व्यक्ति शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिए दुप्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को सादे कागज पर लिखित में पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर सहित 10/- आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

शुल्क नगद, चालान, मनी ऑर्डर या नॉन ज्यूडिशियल स्टांप से जमा किया जा सकता है।

डॉ. बी.के. प्रसाद – प्राचार्य

डॉ. जी.एस.दास – जन सूचना अधिकारी
(सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र)

प्रथम अपीलीय अधिकारी – सहायक जन सूचना अधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं
तृतीय तल इंद्रावती भवन
अटल नगर नया रायपुर

नवीन शासकीय महाविद्यालय

मैनपुर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

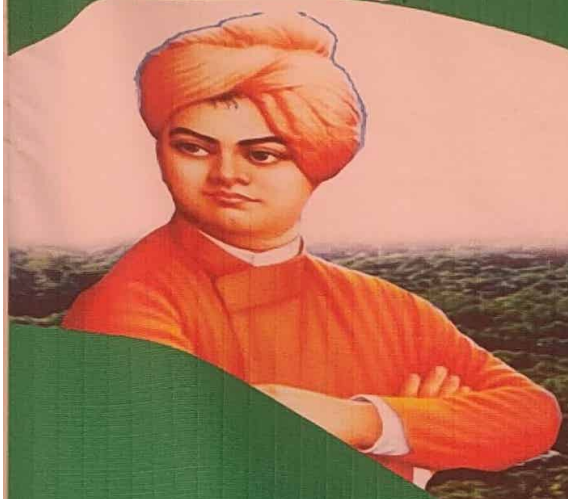

राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

इस योजना का उद्देश्य - "समाज सेवा के माध्यम से व्यक्ति का विकास" है ।

इसके विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है -

- जिस बस्ती/ग्राम/समुदाय में वे कार्य करते हैं, उसे समझना ।
- बस्ती/ग्राम/समुदाय के परिपेक्ष्य में स्वयं को समझना ।
- बस्ती/ग्राम/समुदाय की उन समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान करना जिनके समाधान में वे सहभागी हो सकते है ।
- सामाजिक दायित्व एवं नागरिक बोध(सिविक सेंस) का विकास करना ।
- कठिनाईयों के व्यहारिक निराकरण ढूँढने में शिक्षा एवं ज्ञान को लागू करना । वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ।
- समूह-जीवन हेतु आवश्यक गुणों का विकास करना ।
- बस्ती/ग्राम/समुदाय की सहभागिता सक्रिय करने हेतु कौशल ।
- प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण एवं नेतृत्व गुणों का विकास ।
- संकट एवं दैवी आपदाओं का सामना करने की क्षमता का विकास ।
- राष्ट्रीय एकता को व्यवहारिक स्वरूप देना ।

नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

01. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जो अरुचि यौन भावना से प्रेरित हो।
02. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयास ।
03. यौन अनुग्रह की मांग।
04. यौन अर्थ से रंजित फब्तियां ।
05. अश्लील चित्र दिखाना ।
06. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक एवं अथवा गैर मौखिक संपर्क ।
07. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये।
08. ऐसा यौन उत्पीड़न जो विद्वेष या माहौल दुषित होने की संभावना दिखाकर किया जावे।
09. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी/धमकी देकर किया जाये।
10. छेड़खानी करना।
11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करना या भंग करने का प्रयास करना।
12. भद्दा मजाक ।
13. फोन पर अश्लील बाते करना।
14. इच्छा के विरुद्ध निरुद्ध करना, उसकी निष्ठा का उल्लंघन करना।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।

प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर

गर्ल्स कॉमन रुम के नियम

1. गर्ल्स कॉमन रुम में छात्रों का प्रवेश निषेध है ।
2. गर्ल्स कॉमन रुम को साफ-सुथरा रखना प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है ।
3. वेन्डिग मशीन से सेनेटरी पेड प्राप्त करने के लिये 5 रु का सिक्का मशीन में डालना होगा ।
4. सेनेटरी पेड इनसिनरेटर (डिसपोजल) मशीन का सही उपयोग करें व फ्लश करें ।
5. दीवारों पर थूककर एवं पैर टिकाकर गंदा करना मना है।
6. सिंक रुम के बिस्तर का प्रयोग छात्राओं की तबीयत ठीक न होने पर ही करें । उसमें अनावश्यक रुप से न लेटें ।
7. कचरा डस्टबिन में ही डालें ।
8. टायलेट एवं बेसिन का नल खुला न छोड़े और गंदगी न करें ।
9. गर्ल्स कॉमन रुम की चीजों का तोड़-फोड़ न करें । तोड़-फोड़ के दोषी पाये जाने पर उन्हें संबंधित राशि महा-विद्यालय में जमा करना होगा अन्यथा कार्यवाही की जायेगी ।